समुदाय में विदेशी हस्तक्षेप

विदेशी सरकारों से धमकियाँ मिलने और डराए-धमकाए जाने की घटनाओं को रिपोर्ट कैसे करें

FACTSHEET / April 2023

afp.gov.au

प्रस्तावना

विदेशी हस्तक्षेप ऑस्ट्रेलिया के लोगों, ऑस्ट्रेलिया की संप्रभुता और सुरक्षा, और हमारे राष्ट्रीय संस्थानों की अखंडता के लिए एक गंभीर खतरे को दर्शाता है। विदेशी हस्तक्षेप की धमकियाँ ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं और न ही इन्हें किसी एकल राष्ट्र-राज्य द्वारा किया जाता है। प्रतिरोधी विदेशी राज्य अभिनेता (अर्थात वे देश जो दूसरे देशों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधि करते हैं) सरकार के सभी स्तरों और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलियाई निर्णयकर्ताओं के साथ हस्तक्षेप करने के अवसर पैदा कर रहे हैं और इनकी तलाश कर रहे हैं, इन निर्णयकर्ताओं में शामिल हैं: लोकतांत्रिक संस्थान; शिक्षा एवं अनुसंधान; मीडिया एवं संचार; महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा; और महत्वपूर्ण तौर पर, हमारे सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध (Culturally and Linguistically diverse, CALD) समुदाय।

समुदाय में विदेशी हस्तक्षेप

समुदाय में विदेशी हस्तक्षेप को उन धमकियों और डराने-धमकाने की घटनाओं के तौर पर परिभाषित किया जाता है जो विदेशी सरकारों द्वारा निर्देशित, प्रबंधित या वित्त-पोषित होती हैं और जिनका निशाना CALD समुदाय होते हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया की बहुसांस्कृतिक जीवन-शैली को नुकसान पहुँचाया और उसे प्रभावित किया जा सके। विदेशी सरकारें विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए समुदायों में हस्तक्षेप कर सकती हैं:

- विदेशी सरकार की आंतरिक और बाहरी नीतियों की आलोचना को बंद कराने के लिए
- CALD समूहों के सदस्यों की गतिविधियों (ऑफलाइन और ऑनलाइन) पर नज़र रखने के लिए
- विदेशी सरकार के दृष्टिकोणों और नीतियों का प्रसार करने के लिए
- विदेशी सरकार के लाभ हेतु जानकारी हासिल करने के लिए
- व्यापक आबादी के दृष्टिकोणों और विचारों को प्रभावित करने के लिए।

समुदाय में विदेशी हस्तक्षेप कई रूप ले सकता है

इनमें शामिल हैं:

- हमले या हमले करने की धमकियाँ
- ब्लैकमेल
- अपहरण, गैरकानूनी हिरासत या फिर स्वतंत्रता से वंचित करना
- पीछा करना और अप्रत्याशित शारीरिक या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी
- किसी व्यक्ति के विदेश में उसके परिवार या सहयोगियों को डरा धमका कर उसे किसी बात का पालन करने के लिए विवश करना

- किसी व्यक्ति या समूह को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन दुष्प्रचार अभियान।

महत्वपूर्ण तौर पर, *आपराधिक संहिता अधिनियम 1995* (कॉमनवेल्थ) [*Criminal Code Act 1995* (Cth)]के अधीन विदेशी हस्तक्षेप माने जाने के लिए, यह आवश्यक है कि गतिविधि विदेशी सरकार या इसके प्रतिनिधि से जुड़ी हुई हो। आपराधिकता का आकलन करने में, कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऑस्ट्रेलियाई राज्य या राज्य-क्षेत्र के अपराधों पर भी विचार कर सकती हैं।

निशाना किसे बनाया जाता है?

विदेशी सरकारें निम्नलिखित को निशाना बना सकती हैं:

- ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भूतपूर्व या वर्तमान नागरिक
- राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता
- विरोधकर्ता
- पत्रकार
- राजनीतिक विरोधी
- धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यक समूह।

सहायता करने के लिए मैं क्या कर सकता/ती हूँ?

हालाँकि समुदाय में विदेशी हस्तक्षेप की सभी रिपोर्ट्स से स्पष्ट AFP प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होगी, परन्तु हर रिपोर्ट उभरती समस्याओं की **एक तस्वीर का निर्माण करने में सहायता करती है**।

समुदाय में विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ी किन्हीं चिंताओं और/या मामलों की रिपोर्ट **नेशनल सिक्योरिटी हॉटलाइन (NSH)** को की जा सकती है।

- NSH दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन संचालन करता है और यह समुदाय में संभावित विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने का एक केन्द्रीय संपर्क स्थान है।
- NSH संचालकों (ऑपरेटरों) को यह पता होगा कि आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ क्या करना है, और जहाँ उचित हो, वे इसे आकलन के लिए कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों को आगे भेजेंगे।
- NSH संचालक हरेक कॉल को गंभीरता से लेते हैं और प्राप्त हुई संपूर्ण जानकारी की कदर करते हैं।
- हमें पता है कि चिंताजनक मामले को रिपोर्ट करना एक बड़ा कदम हो सकता है। हम गोपनीयता के आपके अधिकार को गंभीरता से लेते हैं। यदि आप गुमनाम रहना चाहते/ती हैं तो कृपया संचालक को बताएँ।
- सूचना की संवेदनशील प्रवृत्ति के कारण, आपको अपनी कॉल या ई-मेल के परिणाम से सम्बन्धित सलाह नहीं मिलेगी।

समुदाय में विदेशी हस्तक्षेप की रोकथाम करने में सहायता करने के लिए आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी वह लापता कड़ी हो सकती है जो AFP के लिए आवश्यक हो।

NSH से संपर्क करने के कई तरीके हैं:

- **फोन**: 1800 123 400
  - ऑस्ट्रेलिया के बाहर से: (+61) 1300 123 401
  - TTY उपयोगकर्ताओं के लिए (सुनने से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए): 1800 234 889
  - यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो कृपया अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (**Translating and Interpreting Service**) को 131 450 पर फोन करें और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी हॉटलाइन को फोन करने के लिए कहें

- SMS
  - कृपया 0498 562 549पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर अपनी सूचना भेजें
- ई-मेल
  - कृपयाhotline@nationalsecurity.gov.au पर ई-मेल करकेअपनी सूचना भेजें
- डाक:
  - कृपयाअपनी सूचना निम्न पते पर डाक से भेजें:
    National Security Hotline
    Department of Home Affairs
    PO Box 25
    Belconnen ACT 2616

रिपोर्ट करने के अन्य तरीके

जहाँ उचित हो आप विभिन्न प्रकार के अन्य माध्यमों से भी अपनी चिंताएँ रिपोर्ट (प्रकट) कर सकते/ती हैं।

- eSafety गंभीर रूप से आपतिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाए जाने में सहायता करता है। आप कमीशनर को esafety.gov.au/report पर गंभीर रूप से **आपतिजनक ऑनलाइन सामग्री** की रिपोर्ट कर सकते/ती हैं।
- यदि आप किसी भी तरह से भयभीत या असुरक्षित महसूस करते/ती हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते/ती हैं:
  - पुलिस – तात्कालिक धमकियों के लिए 000 पर
  - पुलिस – गैर प्राणघातक घटनाओं के लिए पुलिस उपस्थिति के लिए 13 14 44 पर।
- आप forms.afp.gov.au/online_forms/report_a_crime पर ऑनलाइन Report a Commonwealth Crime (कॉमनवेल्थ अपराध को रिपोर्ट करना) फॉर्म के माध्यम से कॉमनवेल्थ अपराध को रिपोर्ट कर सकते/ती हैं। कौन सी गतिविधियाँ कॉमनवेल्थ अपराध मानी जाती हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया afp.gov.au/contact-us/report-commonwealth-crime#What-is-a-Commonwealth-crime देखें।
- समुदाय का कोई भी सदस्य AFP के सदस्य (इसमें AFP की सामुदायिक संपर्क टीम [Community Liaison Team] शामिल है) से सीधे बात करके संदिग्ध या विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट दे सकता है।

समुदाय में विदेशी हस्तक्षेप को रिपोर्ट करके मैं क्या उम्मीद कर सकता/ती हूँ?

AFP समुदाय में विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट की गई हर घटना की जाँच नहीं कर सकती है। NSH को की गई हरेक कॉल या अपराध की हरेक रिपोर्ट का आकलन मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या किसी आपराधिक जुर्म की पहचान की जाती है। रिपोर्ट करने के परिणामों में शामिल हैं:

- हो सकता है कि कोई जवाब न मिले क्योंकि मामला पुलिस द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए वैधानिक सीमा पर खरा नहीं उतरता है
- हो सकता है कि AFP जाँच करे
- हो सकता है कि कोई अन्य पुलिस सेवा या सरकारी एजेंसी मामले से निपटे।

ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने वाले अपराधों के लिए, न्यायिक सीमाएं लागू होती हैं।

धमकियों के प्रकार

यदि आपको व्यक्तिगत रूप से डराया-धमकाया जाता है

- जिन शब्दों में धमकी दी गई थी, ठीक वैसे ही इसे लिखें या रिकॉर्ड करें।
- धमकी देने वाले व्यक्ति के जितने हो सकें, वर्णनात्मक विवरण रिकॉर्ड करें (नाम, लिंग, कद, वज़न, बालों और आंखों का रंग, आवाज़, कपड़े, या कोई अन्य खास विशिष्टताएँ।
- धमकी की सूचना पुलिस को दें।

यदि आपको टेलीफोन पर डराया-धमकाया जाता है

- यदि संभव हो, तो अपने करीब लोगों को सुनने और पुलिस को सूचना देने के लिए कहें।
- यदि संभव हो, तो कॉल को रिकॉर्ड करें।
- जिन शब्दों में धमकी दी गई थी, ठीक वैसे ही इसे लिखें।
- फोन के इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले से किसी जानकारी को कॉपी करें।
- पुलिस से विवरण की चर्चा करने के लिए उपलब्ध रहें।

यदि आपको टेक्सट मैसेज, डॉयरेक्ट/प्राइवेट मैसेज, सोशल मीडिया या ईमेल सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डराया-धमकाया जाता है

- मैसेज डिलीट न करें।
- मैसेज से जुड़ी जानकारी (सबजेक्ट लाइन, दिनांक, समय, भेजने वाले के विवरण आदि) को प्रिंट करें, इसकी फोटो खीचें, इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे कॉपी करें। जिस मैसेज को अस्थायी होने के तौर पर डिज़ाइन किया गया हो उसे सेव करना या उसका स्क्रीनशॉट लेना सुनिश्चित करें।
- तुरंत पुलिस को सूचना दें कि आपको धमकी दी गई है।
- सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण को संभाल कर रखें।

खुद को इस प्रकार की धमकियों से सुरक्षित रखने के लिए, इन सुझावों का अनुपालन करें:

- अज्ञात प्रेषकों से आए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज या अचैटमेंट न खोलें
- अज्ञात या अवांछित व्यक्तियों के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत न करें
- सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस/अकाउंट्स पर सिक्योरिटी सेटिंग्स संरक्षण के सर्वोच्च स्तर पर सेट हैं
- साइबर अपराधी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को जोखिम में डाल सकते हैं और निजी जानकारी को एक्सपोज़ कर सकते हैं
- अपने अकाउंट्स को पहचान चोरी किए जाने से सुरक्षित रखने के लिए तुरंत अपने आर्थिक संस्थानों से संपर्क करें
- कठिन पासफ्रेजिस (पासवर्ड) का प्रयोग करें और अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए समान पासफ्रेज का प्रयोग न करें
- सुनिश्चित करें कि एंटी-वायरस और एंटी- मैलवेयर एप्लिकेशन्स अप-टु-डेट हैं
- आवश्यकतानुसार सिस्टम और सॉफटवेयर अपडेट्स लागू करें
- टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करें
- नियमित रूप से डाटा का बैकअप लें
- अपना मोबाइल डिवाइस सुरक्षित करें
- अपनी साइबर सुरक्षा सोच और जागरूकता विकसित करें
- और अधिक जानकारी के लिए, cyber.gov.au देखें।